

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बाड़मेर में भू-अभिलेख निरीक्षक 4400/-रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 8 अप्रैल शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बाड़मेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रावताराम भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त गागरिया अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर को परिवादी से 4400/-रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे व मेरे परिवार के सदस्यों के कृषि अनुदान राशि स्वीकृत करने की एवज में रावताराम भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त गागरिया अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार मण्डल देरासर द्वारा 4500/-रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री केलाशचन्द्र बिश्नोई के सुपरविजन में एसीबी बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामनिवास के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री मुकनदान मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रावताराम पुत्र गजाराम निवासी 126 पंचायत समिति के पीछे पुलिस लाईन बाड़मेर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त गागरिया अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर को परिवादी से 4400/-रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।